

# उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड।

(कार्मिक अनुभाग-एक)

संख्या 287-21 / उ0नि0(एक)-03 / 2023-24

दिनांक: देहरादून: 21 अप्रैल, 2023


## कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 12/XXXVI(3)/018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 के उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) एवं संगत अधिनियम की धारा-23 के अधीन जारी उल्लिखित व्यवस्थाओं के परिपेक्ष्य में उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड एवं उसके नियंत्रणाधीन कार्यरत कार्मिकों की राज्य/जिला स्तरीय तैनाती को दृष्टिगत रखते हुए, विभिन्न कार्यालयों को उनकी वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2023-24 हेतु निम्नानुसार पूर्व की भाँति सुगम/दुर्गम क्षेत्र हेतु चिन्हित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	कार्यालय का प्रकार राज्य/जिला स्तरीय	स्थान का नाम जहाँ कार्यलय स्थित है	अधिनियम के अनुसार कार्यालय का सुगम/दुर्गम क्षेत्र हेतु चिन्हीकरण
1	2	3	4	5
1.	उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड	राज्य स्तरीय	देहरादून	सुगम क्षेत्र
2.	जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून	जिला स्तरीय	देहरादून	सुगम क्षेत्र
3.	जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार।	जिला स्तरीय	रूड़की	सुगम क्षेत्र
4.	जिला उद्योग केन्द्र, उधमसिंहनगर	जिला स्तरीय	उधमसिंहनगर	सुगम क्षेत्र
5.	राजकीय डिजाईन सेंटर, काशीपुर	जिला स्तरीय	काशीपुर	सुगम क्षेत्र
6.	जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी	जिला स्तरीय	हल्द्वानी	सुगम क्षेत्र
7.	जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)	जिला स्तरीय	कोटद्वार	दुर्गम क्षेत्र
8.	जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा	जिला स्तरीय	अल्मोड़ा	सुगम क्षेत्र
9.	जिला उद्योग केन्द्र, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	जिला स्तरीय	नरेन्द्रनगर	सुगम क्षेत्र
10.	जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर	जिला स्तरीय	बागेश्वर	दुर्गम क्षेत्र
11.	जिला उद्योग केन्द्र, पिथौरागढ़	जिला स्तरीय	पिथौरागढ़	दुर्गम क्षेत्र
12.	जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत	जिला स्तरीय	चम्पावत	दुर्गम क्षेत्र
13.	जिला उद्योग केन्द्र, गोपेश्वर	जिला स्तरीय	गोपेश्वर	दुर्गम क्षेत्र
14.	जिला उद्योग केन्द्र, रूद्रप्रयाग	जिला स्तरीय	रूद्रप्रयाग	दुर्गम क्षेत्र
15.	जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी	जिला स्तरीय	उत्तरकाशी	दुर्गम क्षेत्र

2- उपरोक्तानुसार चिन्हित दुर्गम क्षेत्रों में यदि फील्ड स्तरीय कार्यों के सम्पादन हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी की नियमित तैनाती के साथ ही उसका मुख्यालय, 7000 फीट से अधिक ऊँचाई वाले कार्य स्थल पर निर्धारित किया जाता है तो वहाँ सम्बन्धित कार्मिक की 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जायेगा।

3- उद्योग निदेशालय एवं उसके नियंत्रणाधीन उक्त वर्णित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की सुगम क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की गणना उक्त तालिका के कालम 4 एवं 5 में दिये गये विवरण के अनुसार की जायेगी।

  
(रोहित मिश्रा)

महानिदेशक/आयुक्त उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, देहरादून।
3. श्री राजेन्द्र प्रकाश आर्य, अपर सांख्यिकीय अधिकारी/प्रभारी सर्वर कक्ष, उद्योग निदेशालय, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त कार्यालय ज्ञाप को विभाग की वेबसाइट में प्रदर्शन करना सुनिश्चित करें।



(अनुपम द्विवेदी)  
उप निदेशक उद्योग।